**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1125**

**दिनांक 16 अगस्‍त, 2013 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**कैंसर की दवाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंस का जारी किया जाना**

**1125.श्री नरेन्द्र कुमार कश्यपः**

 क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कैंसर की तीन दवाओं के लिए अनिवार्य लाइसेंस जारी कर दिया है

 ताकि इन दवाओं के जेनेरिक संस्करण बनाए जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दवाओं के बाजार मूल्य खासतौर से स्तन कैंसर की दवा 'हरसेप्टिन' की कीमतों में हाल ही

 में कमी आई है; और

(घ) यदि नहीं, तो हरसेप्टिन और कैंसर की अन्य कीमती दवाओं को आम आदमी की पहुंच में लाने के

 लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

**उत्‍तर**

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा सांख्‍यिकी और कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) (श्री श्रीकांत कुमार जेना)**

**(क):** जी] नहीं ।

**(ख):** उपर्युक्‍त भाग **(क)** के उत्‍तर को देखते हुए प्रश्‍न नहीं उठता है।

**(ग) एवं (घ):** सरकार ने डीपीसीओ] 1995 के अतिक्रमण में दिनांक 15 मई, 2013 को डीपीसीओ] 2013 अधिसूचित कर दिया है। डीपीसीओ] 2013 की प्रथम अनुसूची में 33 एंटी कैंसर-रोधी औषधियां शामिल हैं जो मूल्‍य नियंत्रण के अंतर्गत हैं।

 हरसेप्‍टिन एक गैर अनुसूचित औषधि हैं और यह डीपीसीओ] 2013 के अनुसार मूल्‍य नियंत्रण के अंतर्गत कवर नहीं है। गैर अनुसूचित औषधियों के संबंध में विनिर्माता सरकार/एनपीपीए का अनुमोदन प्राप्‍त किए बगैर स्‍वयं मूल्‍य निधारित करते हैं। हरसेप्‍टिन ब्रांड से औषधि ट्रास्‍टूजूमेब का विपणन मैसर्स रोचे द्वारा किया जाता है। मई] 2013 माह के आईएमएस-स्‍वास्‍थ्‍य डाटा के अनुसार वही औषध बिसेल्‍टिस (बीआईसीईएलटीआईएस) इंजेक्‍शन शीशी के ब्रांड नाम से 57]143/- रूपए के पीटीआर मूल्‍य पर मैसर्स एमक्‍योर से भी उपलब्‍ध है।

\*\*\*\*\*\*